76

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
थलीसैण।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

संख्या– 100 / वाचक–2015 दिनॉक थलीसैण ~~जनवरी~~ मार्च 02 . 2015,

विषय– ब्यासी (रौली)–कुणेथ मोटर मार्ग पर क्षतिपूरक बृक्षारोपण हेतु स्थल उपलब्ध करायें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त बिषयक अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0खं0) बैजरो मुख्यालय सतपुली ने अपने पत्रॉक संख्या–438 / पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) / ब्यासी दिनॉक 02.01.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड बैजरो के अन्तर्गत ब्यासी (रौली)–मरोड़ा–कुणेथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है। उक्त मोटर मार्ग निर्माण में अर्जित 4.351 है0 आरक्षित बन भूमि 0.617 है0 सिविल सोयम भूमि कुल– 4.968 है0 बन भूमि के दुगने 9.936 है0 भूमि पर क्षतिपूरक बृक्षारोपण किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग पर बृक्षारोपण हेतु 9.936 है0 भूमि उपलब्ध कराने एवं उक्त भूमि का नक्शा, खाता खतौनी प्रमाणित कर संस्तुति सहित जिलाधिकारी महोदय को अग्रसारित करने हेतु अवगत कराया गया है।

उक्त पत्र के क्रम में तहसीलदार थलीसैण से जॉचोपरान्त आख्या प्राप्त की गई है। तहसीलदार थलीसैण द्वारा अपनी आख्या के साथ प्रस्तावित भूमि का तीन–तीन प्रतियों में नकल खसरा एवं नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अतः तहसीलदार थलीसैण द्वारा प्रस्तुत आख्या मय प्रस्तावित भूमि का नकल खसरा, एवं नक्शा तीन–तीन प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न– यथोपरि। (पत्रावली)

भवदीय,

(अनिलसिंह गर्ब्याल),
उपजिलाधिकारी, थलीसैण।

Attested

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.सि.ख. बैजरो
मुख्यालय सतपुली

22

प्रेषक,

तहसीलदार
थलीसैण।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
थलीसैण।

सख्याः– 15 /र0का0–2015, दिनांक थलीसैण, जनवरी, 29 ,2015

विषयः– व्यासी (रौली)–कुणेथ मोटर मार्ग पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपलब्धता के सम्बन्ध में।

––0––

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई(सि0ख0), बैजरों मुख्यालय सतपुली(पौड़ी गढ़वाल) के पत्र संख्याः–438/पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)/व्यासी, दिनांक 02.01.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

सन्दर्भित पत्र पर आपके पृष्ठांकित आदेश के कम में व्यासी (रौली)–कुणेथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु अर्जित 4.351 है0 आरक्षित वन भूमि व 0.617है0 सिविल सोयम भूमि कुल 4.968है0 वन भूमि के दुगन 9.936है0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु राजस्व उपनिरीक्षक चोपड़ाकोट–1 से उनके क्षेत्रान्तर्गत 9.936 है0 भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी।

राजस्व उपनिरीक्षक चोपड़ाकोट–1 ने अपनी आख्या में अवगत कराया है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुणेथ में उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज श्रेणी–9 ख (2) के खाता नम्बर 32 के खसरा नम्बर 158 रकबा 1.312है0, खसरा न0–348 रकबा 1.259है0, खसरा नं0–511 रकबा 0.597है0, खसरा नं0–697 रकबा 3.035है0, खसरा नं0–820 रकबा 1.814है0, खसरा नं0–821 रकबा 0.711है0 एंव खसरा नम्बर 1455 रकबा 1.208 है0 कुल 9.936है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है, जो संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शायी गयी है। उक्त भूमि मौके पर जंगल, झाड़ी के रूप में है। प्रस्तावित भूमि का 03–03 प्रतियों में नकल खसरा व नक्शा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः व्यासी (रौली)–कुणेथ मोटर मार्ग पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपलब्धता के सम्बन्ध में आख्या सेवा में प्रेषित।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय

(अबरार अहमद)
प्र0 तहसीलदार
थलीसैण।

Attested

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.(सि.ख.) बैजरो
मुख्यालय सतपुली